मांग संख्या 29

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कोर्ट मैनेजर के 29 पद, वेतन मैट्रिक्स, लेवल-11 में सृजन हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। इस पर ₹ 60.66 लाख का व्यय संभावित है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 2 से 3

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय हेतु यात्रा भत्ता मद में ₹ 15.00 लाख एवं प्रशिक्षण मद में ₹ 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

मतदाता जागरूकता के लिये Systematic Voter Education and Eletoral Participation (SVEEP) हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5 से 6

आगामी विधानसभा आम चुनाव 2018-19 हेतु यात्रा भत्ता मद में ₹ 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

आगामी विधानसभा आम चुनाव 2018-19 में व्ही.व्ही.पी.ए.टी. मशीनों के उपयोग होने वाली सामग्री हेतु ₹ 2000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 7

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज हेतु 1 नग नवीन वाहन क्रय हेतु ₹ 7.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायधिपति गणों के लिए 7 नग नवीन वाहन क्रय किये जाने हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 20.00 लाख प्रति वाहन की दर से ₹ 140.00 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।